



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक :- /
सेवा में ,

दिनांक :- / / 2017

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- सिमली-शैलेश्वर मोटर मार्ग में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- EDS दिनांक 11.07.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषय के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	Therefore, State Govt. may submit the hard copy of the proposal containing original/attested copies of all the documents except the FRA certificate, geo referenced digital maps of the forest land proposed for diversion and the land proposed for CA, CA scheme, CA site suitability certificate, enumeration List & Part-III, IV & V which are required in original copies.	प्रस्ताव की मूल हार्ड कॉपी पूर्व में नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित की गयी है। प्रस्ताव में FRA certificate, geo referenced Map, CA scheme, CA site suitability certificate, enumeration List एवं पार्ट-I की मूल प्रति यथा स्थान संलग्न की गयी है तथा पार्ट-II एवं पार्ट-III की मूल हार्ड कॉपी संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। कृपया अपने स्तर से उक्त प्रपत्रों को नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करने की कृपा किजिएगा। पार्ट-IV की मूल हार्ड कॉपी नोडल स्तर से एवं पार्ट-V की मूल हार्ड कॉपी राज्य सरकार स्तर से उपलब्ध करायी जानी है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार समस्त प्रपत्र।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

**जनपद चमोली में प्रस्तावित प्रस्तावित सिमली-शैलेश्वर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.44 है०
वन भूमि हस्तान्तरण**

14	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं*
15	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	इस प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरेखण में प्रतिबन्धित बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अतः वन संरक्षक द्वारा मोटर मार्ग के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं वृक्ष प्रजाति प्रभावित न होने पावे तथा निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण सावधानी पूर्वक निर्धारित स्थान (डम्पिंग साईट) पर किया जाय।

*नोट:- इस मोटर मार्ग के संरेखण में प्रतिबन्धित बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अतः वन संरक्षक द्वारा मोटर मार्ग के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

तिथि 31-3-2016

स्थान-गोपेश्वर।

(एस.एस.रसाईली)
मुख्य वन संरक्षक/निदेशक
नन्दादेवी बायोस्फीयर रिजर्व, गोपेश्वर।